

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक अप्रैल, 2014

संख्या-2/वि0-20-01/2014 गृ0आ0 / श्री मु0 शाहिद अख्तर, रेल पुलिस उपाधीक्षक (पूर्वी), पटना को उनके द्वारा याचित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अभ्यावेदन के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (ख) एवं परिपत्र संख्या-पी0सी0-2-9-8/6190 एफ0, दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2014 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप इनके निवृत्ति (रिटायरिंग) पेंशन की आदेयता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विनियमित होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रामजीवन सत्यार्थी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञांपाक-2/वि0-20-01/2014 गृ0आ0 / पटना, दिनांक अप्रैल, 2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञांपाक-2/वि0-20-01/2014 गृ0आ0 3254 / पटना, दिनांक 11 अप्रैल, 2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (बै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/गृह सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/रेल पुलिस अधीक्षक, पटना/श्री मु0 शाहिद अख्तर, रेल पुलिस उपाधीक्षक (पूर्वी), पटना/आई0टी0, प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5 गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इस पर अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र करने की कृपा की जाय ।



सरकार के उप सचिव